सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 29, बुधवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 20, 2023 *Agrahayana 29, Wednesday , Saka 1945- December 20 , 2023*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 12, 2023

संख्या जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 4199 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जोनल विकास योजना-2 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

बीपीसी (एलपी) की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 में लिये गये निर्णयानुसार ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के सैक्टर 29 में स्थित जेडडीपी-2 की प्रस्तावित 60 फीट सड़क जो कि हल्दीघाटी मार्ग को मिलान करती है एवं सैक्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क है, जिसकी लम्बाई लगभग 400 मीटर है एवं सड़क कोडिंग PZ-2/18/146 (मार्क सी से एफ) है, को विलोपित करने के क्रम में जविप्रा अधिनियम की धारा 25 के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

बीपीसी (एलपी) की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 में लिए गये निर्णय की पालना में जोनल विकास योजना प्लान 02 की उपरोक्त वर्णित सडक के विलोपन हेतु दिनांक 14.05.2023 को आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति / सुझावों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए प्रकरण को पुनः बीपीसी एलपी की 340वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में रखा जाकर जोनल विकास योजना प्लान 02 की उपरोक्त वर्णित सडक को विलोपित किये जाने के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 25 की अधिसूचना की कार्यवाही सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जोनल विकास योजना प्लान 02 में उपरोक्त वर्णित सडक का विलोपन अधिसूचित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार जोनल विकास योजना-2 में संशोधन जविप्रा की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 12/10/23 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन की दिनांक से जोनल विकास योजना-2 का भाग माना जाकर प्रभावी होगी।

नलिनी कठोतिया,
सचिव,
जविप्रा, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।